



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/5/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 5394

अप्रैल/April 26 2016

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत मुख्य लाभार्थी के साथ निवास (रेजिडेंसी) को अभिनिश्चित करने के लिए निवास का प्रमाण।

Sub : Proof of residence for ascertaining residency with the prime beneficiary under CHSS

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के वर्तमान प्रावधानों के तहत माता-पिता के निवास को अभिनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है। निवास प्रमाण के रूप में राशन कार्ड के सत्यापन की शर्त से छूट देने के लिए इस विभाग में अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि कुछ स्थानों में राशन कार्ड पाने में अत्यधिक देरी होती है।

As per the existing provisions under CHSS, verification of Ration card is compulsory to ascertain the residency of parents. References have been received in the Department to waive the condition of verification of Ration Card as a proof of residence, as at some places, there is inordinate delay in getting the Ration Cards.

2. इस विभाग ने सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत अब अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नियम 4.1 के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त नोट [सी(iii)] जोड़ने का निर्णय लिया है :

After careful consideration in the Department, it has now been decided to insert the following additional Note [C(iii)] under CHSS Rule no.4.1 :

“मुख्य लाभार्थी के साथ माता-पिता के निवास को अभिनिश्चित करने के लिए प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक से सत्यापित करना आवश्यक है To establish the residency of parents with the prime beneficiary, it is necessary to verify any one of the following documents as a proof:

- (i) राशन कार्ड Ration Card
- (ii) आधार कार्ड Aadhar Card,
- (iii) मतदाता पहचान पत्र Election Identity Card,
- (iv) पासपोर्ट Passport,
- (v) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी बैंक पास बुक
Bank Pass Book issued by Nationalised Banks"

3. इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Secretary, DAE.

स्व. पाण्डेय

(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAI, Indore
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC&Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE